लोकतंत्र में निष्पक्ष मीडिया का महत्व

''महत्वपूर्ण चर्चाओं और नीतियों को सार्वजनिक तौर पर फैलाने के लिए मीडिया महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार, वित्तीय लापरवाही और छलपूर्ण व्यवहार को रोकने में मीडिया एक अहम भूमिका अदा करती है।'' **–अमतया सेन**

मीडिया की भूमिका

अक्सर मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ बुलाया जाता है। इसे जनहित का संरक्षक और लोगों के बीच के सेतु के रूप में देखा जाता है।

मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दुनियाभर में चल रही विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और गतिविधियों के बारे में हमे जागरूक करता है। यह एक दर्पण की तरह जीवन के कड़वे सत्य और कठोर वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है।

राजनीतिक पहलुओं में भी मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनेता अक्सर मीडिया से डरते हैं क्योंकि मीडिया उनके भ्रष्टाचार, आपराधिक कार्यों और सत्ता के दुरूपयोग को उजागर करता रहता है। नीति सुधारों, भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को बदलने में भी मीडिया का योगदान रहा है।

मीडिया, राजनेताओं के चुनाव के समय किए गए वादों को समय–समय पर याद दिलाती रहती है। चुनाव के दौरान टीवी पर समाचार चैनलो द्वारा व्यापक कवरेज सही उम्मीदवारों को चुनने में लोगों की मदद करता है। इस तरह राजनेताओं को अपने वादों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है।

मीडिया लोकतंत्र प्रणाली की खामियों को उजागर करता है और प्रणाली को और अधिक जवाबदेह, उत्तरदायी और नागरिकों के अनुकूल बनाने में मदद करता है।

लोकतंत्र में, मीडिया की तीन ज़िम्मेदारियां हैः पहला, सत्तारूढ लोगों पर कड़ी नज़र रखना। दूसरा, समाज को पूरे दिन की महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना। तीसरा, केवल निष्पक्ष तथ्यों को उजागर करना।

मीडिया की बदली हुई भूमिका

दुर्भाग्यवश, बढ़ते व्यवसायीकरण के कारण मीडिया में एक दूसरे के प्रति कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है, मीडिया ज़िम्मेदार पत्रकारिता पर ध्यान केंद्रित ना करके खुले तौर से पेड न्यूज़ और घटिया पत्रकारिता को बढ़ावा दे रही है। यह और भी ज़्याद दुखदः है कि भारत में मीडिया अब कुछ व्यापारियों और राजनीतिक हितों के नियंत्रण में आ गया है। इसलिए सामाजिक हितों को व्यापारिक और राजनीतिक हितों के नीचे दबाया जा रहा है। यह आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन कहना गलत नही होगा की आजकल मीडिया हाऊस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की सेवा नही बल्कि अपने लिए अधिक से अधिक धन कमाना है। कुछ जगहों पर मीडिया को दो विरोधी राजनीतिक दलों के बीच में लड़ाई करवाने के लिए उपयोग किया जाता है। इतना ही नही बल्कि मीडिया को गलत तरीके से प्रयोग करके लोगों के बीच मतभेद पैदा किया जाता है और विश्वास बढ़ाने की जगह संदेह उत्पन्न किया जाता है। मीडिया का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे जनता का वैचारिक निर्माण होता है। मुद्दों को बहुत ज़्यादा उछालकर या दबाकर, मीडिया किसी भी मुद्दे को महत्वपूर्ण बना सकती है या फिर उसे पूरी तरह खत्म कर सकती है।

उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने कहा है कि पेड न्यूज़ ने स्वच्छ चुनाव करवाने के लिए कोई रास्ता नही छोड़ा है और लोगों के मीडिया में विश्वास नष्ट किया है। मेगसेसे पुरस्कार विजेता पी.साईनाथ के अनुसार ''पेड न्यूज़ एक व्यापार हैं जिसे मीडिया हाउस के मालिक चलाते हैं परन्तु मीडिया और पत्रकारिता दो अलग चीज़ है, मीडिया बिजनेस है परन्तु पत्रकारिता नही। लेकिन अब सब कुछ कोर्पोरेट पावर के बारे में है किसी भी बड़े मीडिया हाउस के बोर्ड आफॅ मेम्बर्स को देखें तो सब में बड़े व्यापारी मौजूद हैं। हमने शिक्षा का व्यापारीकरण किया फिर चिकित्सा

का और उसके बाद खेल का। अब मीडिया का व्यापारीकरण हो रहा है''। साईनाथ ने यह दुखः व्यक्त किया है कि सिर्फ चुनाव आयोग ने ही पेड न्यूज़ के खिलाफ प्रतिक्रिया जताई और मीडिया ने कोई प्रतिक्रिया नही दी।

मीडिया विनिमयन और धारणा

बढ़ते हुए व्यापार, व्यवासायीकरण, पेड न्यूज़ और पत्रकारों और मीडिया घरानों में नैतिक मूल्यों के निरंतर अधपतन ने मीडिया नियमन के मुद्दे को महत्वपूर्ण बना दिया है। वर्तमान में ज़्यादातर मीडिया आत्म नियमन करते है।

पत्रकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आश्वासित करने वाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(क) में आश्रय लेते हैं और आत्म नियमन पर ज़ोर देते है।। पिछले कुछ वर्षो से प्रमुख व्यक्ति जैसे न्यायमूर्ति मार्कान्डे काटजू, पूर्व चेयरमेन, प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया और कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन, प्रिंट, प्रसारण और वेब मीडिया से सम्बन्धित सभी विषयों पर सार्वजनिक विनयमक की मांग कर रहे हैं। नटराजन ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए नियमन विधेयक 2012 प्रस्तुत करने का नोटिस भी दिया, लेकिन यह योजना रद्द कर दी गई। हांलाकि इस मुद्दे पर अभी तक बिना किसी निष्कर्ष बहस की जा रही है, कानूनी रिपोर्टिंग अथवा न्यायाधीन मामलों पर सितम्बर 2012 में सहारा इंडिया सेबी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के लिए कोई भी दिशानिर्देश देने के खिलाफ फैसला किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकारो को समझाया कि वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक शंकरराव चाहवान के पेड न्यूज़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 के अपने निर्णय मे कहा कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह ऐसे उम्मीदवारों की सदस्यता रद्द कर सके जो अनुच्छेद 10 (क) के तहत अपना चुनावी व्यय गलत घोषित करते हैं। इसी के फलस्वरूप चुनाव आयोग ने 13 जुलाई 2014 को एक आदेश पारित किया और श्री अशोक शंकरराव चाहवान को कारण बताओ नोटिस जारी किया लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्थाई रोक लगा दी।

मीडिया के विनियमन के लिए मौजुदा निकाइयां जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया, जो एक सांविधिक प्राधिकारी हैं और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकारी जो एक स्व–विनियामक संगठन है, इन मुद्दो पर मानक जारी करते हैं जो कि दिशा निर्देश के रूप मे होते हैं।

पीसीआई के पास पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन और कदाचार के मामलों में संपादक या पत्रकार के खिलाफ शिकायत स्वीकार करने का अधिकार है। जिसके पश्चात वह मामलों की जांच करता है। जांच के दौरान वह गवाहों को बुला सकता है, सार्वजनिक रिकार्ड के प्रतियों की मांग कर सकता है, सबूत हासिल कर सकता है और अखबार, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी भी जारी कर सकता है। साथ ही पीसीआई जांच के विवरण को प्रकाशित करने की आज्ञा भी समाचार पत्रों को दे सकता है। पीसीआई का निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ़ उच्च न्यायालयों में अपील नही किया जा सकता।

लेकिन पीसीआई की शक्तियां दो तरह से प्रतिबंधित है। पहला, जारी दिशा निर्देश को लागू करने का उनका अधिकार सीमित है। उल्लंघन के मामलों में वह समाचार पत्रों, एंजेसियों, संपादकों और पत्रकारों को दंडित नही कर सकता। दूसरा, पीसीआई प्रेस के कामकाज का बस उपरी निरीक्षण कर सकता है। वह समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया पर तो मानक लागू कर सकता है मगर इलेक्ट्रोनिक मीडिया जैसे कि रेडियो, टीवी और इंटरनेट की समीक्षा नही कर सकता है।

एनबीए ने टेलीविज़न के कार्यक्रमों के लिए एक आचार संहिता तैयार किया है। एनबीए के समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के पास यह अधिकार है कि किसी भी उल्लंघन के खिलाफ वह चेतावनी दे सके और उसके प्रसारण को अस्वीकार कर सके और साथ ही 1 लाख रू. तक की राशि का जुर्माना लगा सके। ऐसा ही एक और संगठन प्रसारण संपादको का एसोसिएशन है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने विज्ञापन से संबधी सामग्रियों पर दिशा निर्देश जारी किया है। लेकिन यह सारे संगठन समझौतों के माध्यम से काम करते हैं और इनके पास कोई वैधानिक अधिकार नही हैं।

निदान

समय की मांग यह है कि मीडिया की विश्वसनीयता और जवाबदेही बढ़ाई जाए। एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में मीडिया की विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी जब वह जनता की ओर जवाबदेह होगी, अपनी गलतियां स्वीकार करेगी और नैतिकता का पालन करेगी। पत्रकारिता की समीक्षा, मीडिया की स्वतंत्र निगरानी ओर जनता के साथ संवाद भी मीडिया का आंकलन करने का और उनकी अनैतिक तरीकों को उजागर करने का काम कर सकती है।